न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—190 सन् 2018

राज कुमार गुप्ता वगैरह...वादी।

ब ना म

आनन्द कुमार प्रियदर्शी वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक—11.09.2025

उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी कि ओर से ऑडर 22 रूल 03 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक—01.07.2025 पर सुनवाई हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी नंबर—01 राज कुमार गुप्ता वल्द स्व0 मदन प्रसाद गुप्ता ब तारीख 25.05.2025 को अपनी पत्नी शशि प्रभा देवी वो दो पुत्रगण राजेश कुमार वो रिंकु कुमार वो तीन पुत्रीगण प्रियंका कुमारी, रंजिता कुमारी वो पुर्णिमा कुमारी को अपना एक मात्र वरिस छोड़कर फौत कर गये। न्यायहित में वादी नं0—01 के जगह पर उनके निम्नलिखित वारीसानों को फरीका बनाना जरूरी है।

प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी नंबर—01 राज कुमार गुप्ता वल्द स्व0 मदन प्रसाद गुप्ता ब तारीख 25.05.2025 को अपनी पत्नी शशि प्रभा देवी वो दो पुत्रगण राजेश कुमार वो रिंकु कुमार वो तीन पुत्रीगण प्रियंका कुमारी, रंजिता कुमारी वो पुर्णिमा कुमारी को अपना वारिस छोड़कर मृत्यु हो गयी है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना के शपथ—पत्र के साथ समय से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक—01.07.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.............................. को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम
सोनपुर सारण।